मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या १७/२०१८,
भानुप्रताप सिंह गौर उम्र ५४ वर्ष पुत्र स्व. विजय सिह निवासी ग्राम १५७/३ गुवावली पोस्ट गुवावली थाना टेहरका तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ, म. प्र.

--------याची।

प्रति

१. विनीता पुत्री श्री राम गोपाल निवासी किशोरीगंज कुलपहाड़ जिला महोबा उ. प्र.

.........पंजीकृत स्वामी मोटर साईकिल सं. यू. पी. ९५ के ६५६३

२. राम प्रकाश पुत्र सरमन निवासी ग्राम रजपुरा थाना उल्दन जिला झाँसी

.........चालक मोटर साईकिल सं. यू. पी. ९५ के ६५६३

३. आई.सी.आई.सी.आई.लोमवार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१४ वीर सावरकर रोड न्यू सिद्धी विनायक टैम्पल प्रभा देवी मुंबई ४०००२५ सर्टिफिकेट नं. ३००५/३४४९०२४६/४०३२/०००

.........बीमाकर्ता मोटर साईकिल सं. यू.पी. ९५ के ६५६३

--------विपक्षीगण।

याची के अधिवक्ता- सुश्री रजनी जैन
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री अरुण कुमार गुप्ता
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा भानुप्रताप सिंह गौर को मोटर वाहन दुर्घटना मे आयी उपहति पर क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

उभय पक्ष को विगत नियत तिथि पर ४५बी सुलहनामा पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा ४५बी याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में विगत नियत तिथि पर उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है। ४५बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ २,५०,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ४५बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा ४५बी में दर्शित कुल ₹ २,५०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याची को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ४५बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका सुलहनामा ४५बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ४५बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को इस आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ २,५०,००० (दो लाख पचास हजार) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Syndicate Bank (Canara Bank) A/c 92352010008560 IFSC- SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याची को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि वह आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगी। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 15:38:15 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi